

डिक्री व मुकदमें ईव्तादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारी:- जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 136/2023

गौरव सिंह पुत्र अमनदीप सिंह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. अमनदीप सिंह पुत्र बीकर सिंह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तह.संगरिया।
2. सुखमन कौर पुत्री अमनदीप सिंह जाति जटसिख सा.सिहपुरा तह.संगरिया।
3. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ जय कौशिक आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिंह सिद्धू वकील वादी मिन जाभिन मुहई श्री चरणजीत सिंह सिद्धू वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 मिन जानिब मुदायला पेश होके हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 21 ए.एम.पी. के खाता संख्या 32/90 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 मे प्रतिवादी संख्या 1 अमनदीप सिंह पुत्र बीकर सिंह नाम दर्ज कृषि भूमि मे से वादी गौरव सिंह को 2.277 है. भूमि का खातेदार काफ्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का उक्तानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- यदि प्रश्नगत भूमि बैक रहन हो तो रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुब्लिक निल बाबत् निल खर्चा

मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक..... अदा करें।

बसव्द मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.7.2023 को जारी किया गया।

HC

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया